न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/85	31.05.2023	01.12.2025

बउनवान

01. रामकिशन पुत्र चुन्ना जाति जाटव निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

प्रार्थी

बनाम

01. रामजीलाल पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

असल अप्रार्थी

02. चिरंजीलाल पुत्र टिल्लूराम जाति कोली निवासी ग्राम पिनान तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0
03. हरचन्द पुत्र भूल्लू जाति जाटव निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
04. राजकुमार पुत्र भूल्लू जाति जाटव निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
05. श्रीमती संतरा पुत्री भूल्लू, धर्मपत्नि कल्लूराम जाति जाटव निवासी ग्राम बुरे तहसील रैणी जिला अलवर राज०
06. श्रीमती नानगी पुत्री भूल्लू, धर्मपत्नि अमरचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज०
07. श्रीमती इमरती पुत्री भूल्लू धर्मपत्नी फूलसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम कान का बर्डोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०
08. श्रीमती पूनी धर्मपत्नी हरिराम जाति जाटव निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
09. जितेन्द्र पुत्र हरिराम जाति जाटव निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
10. श्रीमती शीला पुत्री हरिराम धर्मपत्नी किशन जाति जाटव निवासी ग्राम चिकानी तहसील जिला अलवर राज०
11. श्रीमती बीना पुत्री हरिराम धर्मपत्नी शंकर जाति जाटव निवासी ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर राज०

सह अभिधारी तरतीबी अप्रार्थीगण

12. श्रीमती निर्मला देवी धर्मपत्नि सुरेन्द्र जाति राजपूत निवासी पीलाढाबा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर
13. अंजली पुत्री सुरेन्द्र जाति राजपूत निवासी पीलाढाबा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर
14. अनिरूद्ध पुत्र सुरेन्द्र सिंह नाबालिग जरिये सरपरस्त माता निर्मला जाति राजपूत निवासी पीला ढाबा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

असल अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित हाल खसरा नम्बर 212 रकबा 0.53 हेक्टेयर, 215 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.27 हैक्टेयर को प्रार्थी व अन्य सह अभिधारी कार्य काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थी आवेदक व भूल्लू के वारिसान सह अभिधारियो ने अपनी रिहायश भी खसरा नम्बर 212 व 215 में कर रखी है। जिस आराजी मे प्रार्थी आवेदक व अन्य सह अभिधारियो के आने जाने, हल, बैल, ट्रैक्टर, वाहन आदि लाने ले जाने का व मवेशियान मर्दमान की आमद रफत का एक मात्र रास्ता अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर हाल 763/285 रकबा 0.24 हैक्टेयर जो कि सडक सरकारी तरफ पूर्व से पश्चिम ग्रेवल रोड पीलाढाबा से चौमू जा रहा है, पर स्थित है। जिसमे से होकर आवेदक व सह अभिघारीगण काफी लम्बे अर्से से बुजुर्गान के समय से यानि 40–50 वर्षों से रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसमे तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा में आवेदक प्रार्थी व अन्य सह अभिधारी आते जाते है, जिस सरकारी ग्रेवल रोड पीलाढाबा से ग्राम चौमू की ओर जा रहा है जिसका खसरा संख्या 185 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 223 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 253 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 283 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 286 रकबा 0.04 हैक्टेयर इत्यादि है, जो गैर मुमकिन रास्ता है। आराजी खसरा संख्या 763/285 रकबा 0.24 हैक्टेयर, राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। जिससे आवेदक व सह अभिधारियो को आने–जाने, हल–बैल, ट्रैक्टर, वाहन, आदि लाने ले जाने मे व मवेशियान मर्दमान की आमद रफत मे भारी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है तथा आराजी खसरा नम्बर 212 व 215 के सह अभिघारी चिरंजीलाल पुत्र टिल्लूराम जाति कोली निवासी ग्राम पिनान तहसील राजगढ जिला अलवर 1/2 हिस्सा, भूल्लू पुत्र चुन्ना जाति जाटव निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर 1/4 हिस्सा है। जिसका स्वर्गवास दिनांक 26.08.2022 को हो चुका है। जिसका विरासत नामान्तरण अभी दर्ज नही हुआ है। जिस कारण उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही हुआ है। भूल्लू पुत्र चुन्ना के वारिसान हरचन्द पुत्र भूल्लू जाति जाटव, राजकुमार पुत्र भूल्लू जाति जाटव निवासीयान ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर, श्रीमती संतरा पुत्री भूल्लू धर्मपत्नी कल्लूराम जाति जाटव निवासी ग्राम बुरे तहसील रैणी जिला अलवर, श्रीमती नानगी पुत्री भूल्लू धर्मपत्नी अमरचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर, श्रीमती इमरती पुत्री भूल्लू धर्मपत्नी फूलसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम कान का बडौदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, व हरिराम पुत्र भूल्लू जाति जाटव निवासी ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान श्रीमती पूनी धर्मपत्नी हरिराम जाति जाटव, जितेन्द्र पुत्र हरिराम जाति जाटव निवासीयान ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर, श्रीमती शीला पुत्री हरिराम धर्मपत्नी किशन जाति जाटव, श्रीमती बीना पुत्री हरिराम धर्मपत्नी शंकर जाति जाटव निवासीयान ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर के निवासी है। अप्रार्थी से आवेदक व अन्य सह अभिधारीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 212 व 215 में आने जाने के लिये रास्ता चाहते है, जो रास्ता पहले से ही मौके पर कायमशुदा है। जिसमे 12 फुट चौडा रास्ता आवेदक चाहता है। जिस रास्ता को राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कराया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 763/285 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर, के तरफ पूर्व दिशा यानि पूर्वी डोल में उत्तर से दक्षिण की ओर आवेदक द्वारा 12 फुट चौडा रास्ता जो पहले से ही विद्यमान है, जो आवेदक व उसके सह अभिधारीयो की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 212 रकबा 0.53 हैक्टेयर व 215 रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा जिला अलवर, तक जा रहा है। जिसको राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी नक्शा आदि में अभिलिखित कराए जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण तलब किये गये। असल अप्रार्थी संख्या 1 व सह अभिधारी तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 10 को अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार मालाखेडा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी की मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि :–

01. वादी रामकिशन/चुन्ना वाके ग्राम पीलाढाबा के आराजी खसरा नम्बर 763/285 के पश्चिमी मेड के लगते हुए व आगे पश्चिम –दक्षिणी कोने से अपने सह खातदारी आराजी 215 से 212 तक पहुचना चाहता है जिसकी लम्बाई 66 मीटर है तथा चौडाई 4 मीटर से कुल रकबा 264 वर्ग मीटर बनता है।
02. आराजी खसरा नम्बर 284 के पूर्वी मेड के लगते–लगते हुए प्रार्थी के सह खातेदारी आराजी 215 तक पहुचता है। जिसमे से आगे 212 तक पहुचा जा सकता है। आराजी खसरा नम्बर 284 के पूर्व मे रास्ता मौके पर चालू है तथा इस रास्ते की लम्बाई 48 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर लेने पर रकबा 192 वर्ग मीटर बनता है।

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बिन्दू संख्या 02 में वर्णित रास्ता सुगम, लम्बाई में कम तथा मौके पर चालू रास्ता बताया गया है तथा प्रार्थी को आराजी खसरा संख्या 284 के पूर्व दिशा के मेड पर लगता हुआ 48 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई का रास्ता दिये जाने की नियमानुसार अभिशंषा की है।

पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित मार्ग–(2) खसरा संख्या 284 के खातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु वकील प्रार्थी को आदेशित किया गया। पत्रावली में आराजी खसरा संख्या–284 के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 12, 13, 14, की ओर से जवाब पेश किया गया कि प्रार्थी आवेदक व अन्य सह अभिधारियों को मौके पर आराजी खसरा संख्या 284 की डोल से रास्ता चालू हैं, प्रार्थी उसी रास्ते से आता जाता है, इसलिए आराजी खसरा संख्या 763/285 में से रास्ता दिया जाना उचित नही है। मौके पर 12 फुट रास्ता चालू है। प्रार्थी को आने जाने के लिए पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं जिसमे होकर वो आते जाते है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड मे गलत तरीके से रास्ता कायम करवाना चाहते है, जिसका उन्हे किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी। उभय पक्ष ने आराजी खसरा संख्या 284 के पूर्व दिशा की मेड पर लगता हुआ 48 मीटर लम्बाई व चार मीटर चौडाई का रास्ता दिये जाने पर सहमति दी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) मे अन्य खातेदार को जब नवीन रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता की स्थिति मे ही दिये जाने का प्रावधान है और यह जोत के केवल सुविधा जनक उपयोग के लिये नही है। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 284 के पूर्वी मेड के लगते–लगते हुए प्रार्थी के सह खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215 तक पहुचता है। जिसमे से आगे खसरा संख्या 212 तक पहुचा जा सकता है। आराजी खसरा नम्बर 284 के पूर्व मे रास्ता मौके पर चालू है तथा इस रास्ते की लम्बाई 48 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर लेने पर रकबा 192 वर्ग मीटर बनता है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास निकटतम व लघुतम अन्य कोई रास्ता मौजूद नही होना बताया है तथा उक्त आराजी को अर्से दराज से रास्ते के उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है। आराजी खसरा संख्या–248 के पूर्वी मेड पर सेलगते हुए रास्ते के लिए उभयपक्ष ने अपनी सहमति भी व्यक्त की है।

धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुँचने के लिये अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सूविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

01. यह आवश्यकता आत्यान्तिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और–
02. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है तो आदेश द्वारा (2) जहा उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्तो के रूप में अभिलिखित की जावेगी।
03. वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सुविधाओ मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है। उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत मे होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जावे एवं कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेगे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की बहस में तथा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को नया पहुँच मार्ग सृजित करने की आवश्यकता बताई है। वैकल्पिक साधन का अभाव है।

राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम–1 के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी है कि कृषि भूमि दरो का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावें। प्रदत्त की गयी भूमि राजस्व अभिलेखों मे रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी। आराजी खसरा संख्या–284 रकबा 0.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम पीलाढाबा तहसील मालाखेडा में 48 मीटर लम्बाई, 4 मीटर चौडाई रकबा 192 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाना है। विभागीय परिपत्र दिनांक–14.06.2013 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावें। आराजी खसरा संख्या–284 रकबा 0.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम पीलाढाबा, तहसील मालाखेडा में घोषित मार्ग को राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज किया जावें एवं रास्ते का अलग नंबर दिया जाकर इसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जावें।

तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के आधार पर आराजी खसरा संख्या 284 रकबा 0.29 हैक्टेयर वाके ग्राम पीलाढाबा, तहसील मालाखेडा मे से 48 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौडाई रकबा –192 वर्गमीटर का रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

है एवं नवीन रास्ते की डीएलसी दर की दुगुनी राशि तहसील कार्यालय मालाखेड़ा मे जमा कराने के उपरान्त रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)